

FORM NO.111

फर्द अहकाम
(नियम 26)


न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रभु बगै0 बनाम छाजू बगै0

किरम मुकदमा - प्रा0 पत्र कैवियट

मुकदमा नम्बर-139/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व मसिख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
29.08.2024	<p>प्रार्थी वकील श्री अनिल यादव एड0 के द्वारा विविधि प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148(1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 01.05.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया गया था। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148(1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान से सम्बंधित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को पेश हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फ़ैसल किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होर बाद तकमील दाखिल दफ़तर है।</p>	


(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

